16

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

तारीख 09.02.2021

अपील संख्या 49 / 2021

रामबिलास,तेजपाल,बृजलाल पुत्रान रामफूल जाति मीना निवासी कहार उर्फ बडागांव

—— अपीलार्थी

बनाम

—— रेस्पो0

सरकार जरिये तहसीलदार मलारला डूँगर।

दिनांक 12.10.2021

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार मलारडूंगर द्वारा मिसल संख्या 118 / 20 मे पारित आदेश दिनांक 09.09.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम कहार उर्फ बडागांव के आराजी खसरा नम्बर 1448 रकबा 0.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर संवत 2077 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिचारी को मौके से बेदखल करने की कार्यवाही की गयी।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1448 रकबा 2 ऐयर वाके ग्राम बडा गावं कहार पर पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुये पैनल्टी तथा बेदखली से दण्डित किया है। यह है कि उक्त निर्णय रूहेदार मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों से परे होने से निरस्तनीय है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एक मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर पारित किया गया है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है इस कारण में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। यह है कि भूप्रबंध विभाग ने उक्त रकबे की किस्म अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर परिवर्तित की है तथा उक्त आराजीयात पर अपीलान्ट्स के पूर्वजो के समय से ही बाडा बना रखा है प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नियमन का है तथा अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवायी का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। प्रार्थी के खिलाफ उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। इन तथ्यों पर [illegible] ने कोई गोर नहीं किया इस कारण भी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिकमी माना है जो निरस्तनीय [illegible] भी तर्क दिया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जोईन्ट नोटिस जारी किया [illegible] जोईन्ट नोटिस को माननीय सुप्रीम कोर्ट में वेरीबेड इन लॉ की श्रेणी में माना है। यह [illegible]वेदन किया है कि पाश्चतवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली [illegible] पूर्व में किए अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना [illegible] सकता। अन्त में वकील [illegible]न्ट द्वारा अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:30:36 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2021 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील पेराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्ट के परिवार को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्ट को स्वंय को नोटिस की तामील करवाई गयी। बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहॉ तक अधिनस्थ न्यायालय का अपीलान्ट को धारा 91 (3) के तहत नोटिस जारी करने का प्रश्न है तो अदालत मातहत द्वारा अपील अंकित 4 अतिकमीयों की बजाय केवल एक ही अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है जो न्याय की श्रेणी में नहीं माना जा सकता प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के तहत चारो अपीलार्थी को नोटिस जारी करना चाहिए था जिसका अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अभाव पाया गया। उक्त विवादित आराजीयात के संबंध में एक वाद पत्र न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर में विचाराधीन चल रहा है। अतः मेरी राय में अपील स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टगण की अपील आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें पेनल्टी का आदेश यथावत रखा जाता है तथा बेदखली का आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मलारना डूँगर को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर में विचाराधीन वाद पत्र के निर्णय होने के उपरान्त ही निर्णय के अनुसार उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:30:36 IST
Reason: SelfAttested